न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन स 61 / 2022 अन्तर्गत धारा 111 128 एल आर एक्ट

पुरखाराम बनाम मगाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी आर ए एस

प्रार्थी वकील - श्री फताराम

निर्णय दिनांक - 03 11 2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र म कथन किया है कि तहसील सेडवा पटवार हल्का नवातला बाखासर भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा सूजों का निवाण के खेत खसरा सख्या 51 रकबा 2 5010 हैक्ट. (15.09 बीघा) किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थी क खेत क [illegible] विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने क कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एव विप्रार्थीगण क मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगडडी पेमाईश एव नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एव नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु न्यायहित मे [illegible] अवसर दिये जाने के बावजुद भी विप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नही किया गया। अत उनका जवाब का अवसर बद किया जाता है। उक्त अनवान पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली के सलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी क उक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है. इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर विवादित भूमि तहसील सेडवा पटवार हल्का नवातला बाखासर भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा सूजों का निवाण के खेत खसरा सख्या 51 रकबा 2 5010 हैक्ट. (15.09 बीघा) किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेडवा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर को निर्देश दिये जाते है [illegible] [illegible] के स्वरूप किसी मुस्तकील / स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे [illegible] [illegible] निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न [illegible] [illegible] [illegible] मौके की स्थिति व कब्जा काश्त म परिवर्तन किये बिना मुस्तकील स्थाई बिन्दु [illegible] [illegible] पेमाईश कर व नेखमबन्दी कर पालना रिपार्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी का साथ रहे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपार्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.11.11 14:37:46 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सेडवा को आदेश दिया जाता है कि [illegible] के खसरे की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति म कराये एव नेखमबन्दी के दौरान [illegible] [illegible] न हो।

पत्रावली पालना रिपार्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली [illegible] शुमार होकर दा[illegible]ल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनाक 03 11 2022 को न्यायालय के खुले परिसर मे सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, सेडवा

उपखण्ड अधिकारी [illegible]